

## पुलिस विभाग जिला अजमेर

प्रेस नोट 12.05.2018

पुलिस विभाग जिला अजमेर

प्रेस नोट 12.05.2018

### युवक से परेशान महिला ने दिया एसपी को ज्ञापन

पिछले कुछ दिनों पहले भूणाबाय गांव में वृद्ध दंपति की पिटाई के मामले में नया मामला सामने आया है। जिस पर वृद्ध दंपति के बेटे संदीप टांक पर गांव वालों ने छेड़छाड़ और बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। कलेक्ट्रेट पर आए भूणाबाय गांव के क्षेत्रवासियों ने बताया कि संदीप उनकी नाबालिग बेटी को जबरन घर में घुसकर परेशान करता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है। इस बात की शिकायत सभी गांव की महिलाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है।

### दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग से दुराचार मामले में शुक्रवार को पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी सेठू बावरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख 30 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। मामला टाडगढ थाने का है यहां की रहने वाली पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी 27 अप्रैल 2014 को शौच के लिए गई थी इसी समय नागौर निवासी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला सेठू बावरिया उसे बहला-फुसलाकर उठाकर ले गया और उसे बंधक बनाकर 4 महीने तक उसके साथ दुराचार किया। मामले की शिकायत पर टाडगढ थाना पुलिस ने तफ्तीश कर 4 माह पूर्व लड़की को दस्तयाब किया गया। लड़की के बयान पर आरोपी सेठू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया जहां आज पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी सेठू बावरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में आरोपी पर 1 लाख 30 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह 17 दस्तावेज पेश किए गए हैं।

